International Journal of Multidisciplinary Education and Research
www.educationjournal.in
ISSN: 2455-4588
Received: 10-07-2021, Accepted: 26-07-2021, Published: 13-08-2021
Volume 6, Issue 3, 2021, Page No. 34-36

वायु प्रदूषण के प्रभावः–दिल्ली एक अध्धयन

पवन कुमार
पी. एच. डी. शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान, विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

सारांश
वायु प्रदूषण मानव अधिकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीकों से प्रभाव डाल रहा है। इसमें जीवन जीने का अधिकार, पर्याप्त भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, पानी का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार आदि मानव अधिकार शामिल है। वायु प्रदूषण और मानव अधिकार एक दूसरे से संबंध है। सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार ही नहीं बल्कि जीवन का अधिकार भी दाँव पर है। वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, अस्थमा, सांस आदि की समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं । जिसके कारण कई लाख लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है। इस लेख के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

मूल शब्दः वायु प्रदूषण, मानव अधिकार

प्रस्तावना
शुरु में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मानव–अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन 1970 के बाद से मानव–अधिकारों और पर्यावरण के बीच संबंध उत्तरोत्तर मान्यता दी गई। 1972 के स्टॉकहोम घोषणा को आमतौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण के शुरुआती बिन्दु के रुप में देखा जाता है। जबकि 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर से आधुनिक अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की शुरुआत हुई थी। अधिक से अधिक लोगों ने यह देखना शुरु कर दिया कि एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति जरुरी है। जैसे– जीने का अधिकारों, व्यक्तिगत–निष्ठा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और विकास। ये सभी अधिकार बुनियादी है। प्रत्येक इंसान का जीवन पर्यावरण की सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। जब से भोपाल गैस जैसी आपदाएं हुई है, तब से पर्यावरण और मानव–अधिकारों को आपस में जोड़ा गया है।[1]

विज्ञान और औद्योगिकीकरण के कारण जिस नई भोगवादी सभ्यता का जन्म हुआ है, उससे जीवन और प्रकृति के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन हुआ है। प्रकृति के साथ जो हमारा प्राचीन काल में रिश्ता रहा है, वह अब बिल्कुल बदल चुका है। मनुष्य खुद ही प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बन गया है। निस्संदेह, आज के वैज्ञानिक युग में भौतिक समृद्धि हुई है, परन्तु जितना अधिक औद्योगिकरण हुआ है, उससे कहीं अधिक मात्रा में प्रदूषण बढ़ा हैं प्रदूषण आज की सबसे बड़ी मानवीय समस्या बन गया है, जिसने सम्पूर्ण मानव–जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है।

वहीं दिल्ली की बात करे तो पिछले 25 वर्षों के भीतर आकार और जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। अधिकांश निवासी दिल्ली में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं हालांकि मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण वृद्धि और अर्थव्यवस्था के साथ शहर में तेजी से भौतिक निर्माण हुआ खासकर आवासी परिसरों, मॉल, सड़के, राजमार्गों, गोल्फ कोर्स, नए हवाई अड्डे, मैट्रो–प्रणाली तथा सड़कों पर अधिक कारों का होना देखा गया है।

दिल्ली की जीवनशैली के लिए पहले से ज्यादा बड़े पैमानों पर उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। निजी तथा औद्योगिक खपत ने इस तरह के विकास ने प्राकृतिक संसाधनों को काफी प्रदूषित किया है।[2]

जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य दिन–प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए जमीन पर कब्जा कर रहा है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासयनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे न केवल भूमि बल्कि जल को भी प्रदूषित किया है। यातायात के विभिन्न साधनों के कारण हानि व वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सब बातों पर गौर किया जाए तो प्रदूषण में बढ़ोत्तरी का कारण मनुष्य की गतिविधियां ही है जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुध गति से प्रयोग कर रहे है तथा पृथ्वी को कूड़े कचरे का ढेर बना रहे है।

अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए तो वायु–प्रदूषण रसायनों, सुक्षम पदार्थ या जैविक पदार्थ के वातावरण में, मानव की भूमिका है, जो मानव को या अन्य जीव जन्तुओं को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के कारण मौते और श्वास रोग होते हैं।

वायु प्रदूषण की पहचान ज्यादातर प्रमुख स्थायी स्त्रोतों से की जाती है, पर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्त्रोत ऑटोमोबाइल्स हैं। वायुमंडल में सभी प्रकार की गैसों की मात्रा निश्चित है। प्रकृति में संतुलन रहने पर इन गैसों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, परन्तु किसी कारणवश यदि गैसों की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है तो वह वायु प्रदूषण होता है।[3]

अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव तत्काल दिखाई पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरन्त अपना प्रभाव दिखाती है और आसपास के जीव जन्तुओं एवं मनुष्यों की जान ले लेती है। भोपाल गैस कांड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विभिन्न तकनीकों के विकास से यातायात के विभिन्न साधनों का भी विकास हुआ है।

एक ओर जहाँ यातायात के नवीन साधनों आवागमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यातायात के साधन पेट्रोल और डीजल से चलते है, जिनके जलने से उत्पन्न धुंआ वातावरण को दूषित करता हैं। वायु प्रदूषण के कारण समतापमडंल से हुए ओजोन रिक्तीकरण को बहुत पहले से मानव स्वास्थ्य के साथ–साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्त्रोत : परिवहन, उद्योग, और घरेलू हवाई उत्सर्जन है।

एक स्टडी के अनुसार हर साल दुनिया में 3 लाख समयपूर्व मौतें होती है जो वायु प्रदूषण के कारण होती है। एक सर्वेक्षण के

अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सांस की बिमारियां 12 गुणा ज्यादा है राष्ट्रीय औसत के अनुसार।[4]

मानव स्वास्थ्य पर वाहनों के प्रदूषण के प्रभाव

वाहनों के उत्सर्जन का मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। वाहनों से कई जहरीली गैंसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, लेड, बेंजीन, हाइड्रोकार्बन निकलती है जिनसे मानव के स्वास्थ्य पर कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तालिका के माध्यम से इन जहरीली गैसों में मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

तालिका 1: वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

प्रदूषक	मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
कार्बन मोनो ऑक्साइड	हृदय प्रणाली को प्रभावित करता है, शरीर को ऑक्सिजन पहुँचाने वाले रेड ब्लड सेल्स पर असर डालती है, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, सोचने की क्षमता पर असर, पेट में तकलीफ व उल्टी, हार्ट रेट बढ़ना, शरीर का तापमान कम होना, लो ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी फेलियर, हाथों और आखों का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ होना, भ्रूण प्रभावित होना, एनीमिक आदि।
नाइट्रोजन ऑक्साइड	संक्रामक का खतरा, फेफड़ों के कार्य करने में क्षति, पहुँचाना, आँख, नाक और गले में जलन होना।
सल्फर डाइऑक्साइड	फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना
पार्टिकुलेट मेटर	सांस लेते समय आपके फेफड़ों में चले जाते हैं जिसके कारण खांसी, अस्थमा का दौरा पढ़ सकता है, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, समय से पहले मृत्यु होना, छाती में खिंचाव, अनियमित दिल की धड़कन, गंभीर श्वसन रोग
लेड (सीसा)	जिगर और गुर्दे को प्रभावित करता है, बच्चों के मस्तिष्क को क्षति पहुँचना, गर्भ में बच्चे पर भी पड़ता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रूक जाता है, सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाना
बेंजीन	रक्त कैंसर होना
हाइड्रोकार्बन	कैंसर

स्त्रोतः Reference Note, No:14/RN/Ref./June/2018,Loksabha Secretariat, New Delhi.

रिपोर्ट 1: ''बस 10 बरस डीजल पर'' नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली और एनसीआर में 10 साल से पुरानी गाड़ियां चलाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। दिल्ली में एयर पल्यूशन को कंट्रोल करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है।[5]

रिपोर्ट 2: ''दिल्ली को बीमार बनाता डीजल'' नामक इस रिपोर्ट में बताया गया कि डीजल गाड़ियां पेट्रोल के मुकाबले कई गुना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ाती है। डीजल गाड़ियों से पार्टिकुलेट मैंटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ती है जो वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ाने में मदद करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली की हवा की हालत इतनी खतरनाक है कि लोगों की सेहत को बिगड़ने से बचाने के लिए डॉक्टर दिल्ली तक छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। प्रदूषण के कारण लोगों को तरह–तरह की बीमारियां हो रही है खासकर सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों पर पड़ रहा हैं। डीजल के जलने से निकलने वाले धुएं से लंग्स, ब्रेन को नुकसान पहुंचने के साथ–साथ कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहा है।[6]

रिपोर्ट 3: ''एयर पॉल्यूशन से हो रही है प्रीमेच्योर डिलिवरी'' नामक रिपोर्ट में बताया गया कि वायु प्रदूषण के कारण प्रीमेच्योर डिलिवरी और बच्चे का वजन कम हो सकता है। और बच्चों को श्वास संबंधी बिमारियां होने के ज्यादा चांस होते हैं।[7]

रिपोर्ट 4: ''दिल्ली में प्रवेश करने वाले पुराने वाहनों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव'' नामक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधनी में प्रदूषण का स्तर घटाने के लिए दिल्ली सरकार ने केन्द्र से कानून में शहर में प्रवेश करने वाले 15 साल पुराने वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान करने का आह्वान किया है।[8]

दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड हैं। 6.24 लाख वाहन दिल्ली में डीजल से चलते है। 5.38 लाख के करीब निजी कारें डीजल से चलती है। 86 हजार व्यावसायिक डीजल वाहन 1.53 लाख डीजल वाहन 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। 1.18 लाख निजी डीजल कारें 10 साल से ज्यादा पुरानी है। 34 हजार के करीब व्यावसायिक वाहन 10 साल से ज्यादा पुराने हैं।[9]

बढ़ता प्रदूषण एक तरह से हमारे जीवन जीने के अधिकार के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। जैसे–जैसे प्रदूषण बढ़ेगा वैसी ही बिमारियां फैलेगी और हमारे मानव अधिकार ''जीवन जीने के अधिकार'' को खतरे में डाल देगी। दिल्ली में हर साल लाखों गाड़ियां खरीदी जाती है जो कि वायु प्रदूषण में और बढ़ोत्तरी करती है। जब किसी शहर की वायु ही प्रदूषित हो जाए तो लोगों का जीवन जीना दुबर हो जाता है जिससे नई–नई बिमारियां पनपने लगती है। जब मनुष्य ठीक ढंग से सांस ही नहीं ले पाएगा तो वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। उसके जीवन जीने के अधिकार का हनन होगा। जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सभी मनुष्य को साफ व स्वच्छ हवा व पानी का अधिकार है। जब साफ हवा नहीं मिलेगी तो वह अपना विकास कैसे कर पाएगा। पेड–पौधे लगाने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। हरियाली ही हवा को साफ करती है। जिससे हमें साफ व स्वच्छ वातावरण मिलेगा ही साथ ही मानसिक शांति व सकून भी मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़–पौधे लगाने होंगे। तभी हम वायु प्रदूषण को कम कर पाएंगे तथा अपने मानव–अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे।

निष्कर्ष

औद्योगिकरण तथा वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण खराब हो रहा है जिसका सीधा संबंध हमारे मानव–अधिकारों से है खासकर जीने के अधिकार से, हमारे संविधान में भी कुछ अधिकार दिये गए जो हमारे मानव–अधिकारों और पर्यावरण को बचाते है जैसे–अनुच्छेद–48(A) तथा अनुच्छेद–51 A(g)। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए है जैसे– वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, कारखाना अधिनियम 1948 आदि। सर्वोच्च न्यायालय ने रूरल लिटिगेशन एण्ड इनटाइटिलमेन्ट केन्द्र, देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1988 (देहरादून खनन मामला) में स्वच्छ वातावरण को जीवन के अधिकार में शामिल

किया। इसी तरह दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सी.एन.जी से वाहन संचालित करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया ताकि वाहनों से निकलने वाले दिल्ली की जनता को बचाया जा सके।

संदर्भ

1. http://www.ritimo.org/article4858.html.
2. http://www.indiawaterportal.org. Accessed on Nov 5, 2014
3. www.indiawaterportal.org.
4. Krishnamoorthy, Bala, 2013, Environmental Management Text and cases, PHI, Delhi, p-8
5. नवभारत टाइम्स, 8 अप्रैल 2015, पृ.1.
6. नवभारत टाइम्स, अप्रैल 8 2015, पृ.2.
7. नवभारत टाइम्स, अप्रैल 8 2015, पृ.2.
8. नेशनल दुनिया, अप्रैल 8 2015, पृ.2.
9. अमर उजाला, अप्रैल, पृ.2.